

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (जयपुर)
बईजलास श्री विरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला
मजिस्ट्रेट कोटपूतली

प्रार्थना पत्र संख्या - 31/2014

श्रीमती सदा कंवर

बनाम

ख्यालीराम आदि

प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम

आदेश

दिनांक : 14.1.16

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र 14 (4) का मय दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया। दफा 5 के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया ने उपरोक्त गत रूप से किये गये आवन्टन की जानकारी दिनांक 20.04.2014 को गांव में सुनका सुनकी होने पर प्राप्त हुई। तब न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां आवन्टन समिति द्वारा किये गये आवन्टन की नकल हेतु आवेदन दिनांक 22.04.2014 को किया। नकल प्राप्त कर प्रार्थीया बिना देरी किये उक्त आवंटन के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने आवन्टन प्रस्तुत कर रखा है। उक्त प्रकरण में जो देरी हुई है वह जानबुझकर नहीं हुई बल्कि अज्ञानतावश हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रकरण में जो देरी हुई उसे कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने बिना जबाब दिये सीधी बहस करने का निवेदन किया।

हमने वकील उभय पक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अलाटमेन्ट दिनांक 30.09.1994 को हुआ है। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को गाँव में बातचीत के दौरान नकल दिनांक 22.04.2014 के लेने पर हुई। नकल लेने के तुरन्त दिनांक 12.05.2014 को धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त प्रकरण को प्रस्तुत करने में देरी प्रार्थीया द्वारा अज्ञानतावश हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में हुई देरी कन्डोन कर प्रार्थना पत्र में सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अलान्टमेन्ट 1994 में हुआ तथा लीज सन 2004 में हुई है अर्थात् अलाटमेन्ट के समय प्रार्थी का भूमि पर कोई हक नहीं था। प्रार्थी को अलाटमेन्ट की जानकारी नकल लेने पर ही हुई इससे पूर्व इनको अलाटमेन्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। इस बाबत प्रार्थीया ने कोई सबूत भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में आर.टी. 2011 (1) पेज 383 पेश किया है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने दफा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया है कि अलाटमेन्ट 1994 में हुआ तथा प्रार्थीया को इसकी जानकारी 2014 में हुई परन्तु प्रार्थीया ने इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपुल्ली (जयपुर)



सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक 14.1.16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खूले न्यायालय में

है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अख्तियार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता

स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णतया चरम होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र जानकायी नहीं थी। इस बात से हम सहमत नहीं हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक एवं कब्जा ही परिवर्तित हो गया और प्रार्थीया का कथन है कि उसे इस बात कोई जयि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी। इस 20 वर्ष के अन्तराल में भूमि का टर्इटल में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के द्वारा पक्षकार बने मदनमोहन पुत्र कंवरसिंह को भूमि